

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 7677/2023

एस.के. नागरवाल पुत्र स्वर्गीय श्री रोड नागरवाल , आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी बी-90, सिद्धार्थ नगर, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे में उप मुख्य अभियंता/निर्माण/सर्वेक्षण (ग्रुप-ए), जयपुर के पद पर कार्यरत हैं।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ , सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल भवन , रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से
2. महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, मुख्यालय कार्यालय, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर - 302017
3. श्री अनिल कुमार, तत्कालीन उप मुख्य सतर्कता अधिकारी /ई/ जयपुर , वर्तमान सेवानिवृत्त , निवासी मकान नं. 94-ए, कृष्णा नगर, सिरसी रोड, जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री कैलाश चौधरी
प्रतिवादी (ओं) के लिए : श्री आशीष कुमार

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन
माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार
आदेश

29/08/2024

अवनीश झिंगन, जे:

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 22.12.2021 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
2. प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 24.11.2010 के आदेश द्वारा निंदा की सजा दी गई थी। याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन (ओए) दाखिल करके दंड आदेश को चुनौती दी। ओए का निपटारा 26.05.2011 को अपील दायर करने की स्वतंत्रता के साथ किया गया। 30.10.2011 को विलंब क्षमा प्रार्थना के साथ दायर अपील 14.12.2012 को

खारिज कर दी गई। आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने दंड के आदेशों और अपील आदेश को चुनौती देते हुए ओए दाखिल किया। ओए खारिज होने पर, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपील दायर करने में देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया था।

4. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने विवादित आदेश का बचाव करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा मामले के गुण-दोष पर विचार किया गया तथा ओ.ए. को सही तरीके से खारिज कर दिया गया।

5. न्यायाधिकरण द्वारा दण्ड आदेश को दी गई प्रारंभिक चुनौती पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखा गया कि याचिकाकर्ता के पास अपील का वैधानिक उपाय उपलब्ध है।

6. याचिकाकर्ता द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु प्रार्थना सहित प्रस्तुत अपील को समय समाप्त होने के कारण खारिज कर दिया गया। न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दो पहलुओं पर थी; पहला, दंड आदेश और दूसरा, अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को। न्यायाधिकरण के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि समय समाप्त होने के कारण अपील को खारिज करने के मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया गया। इस तथ्य के बावजूद कि अपीलीय प्राधिकारी ने अपील पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया था, मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया गया। इस प्रक्रिया को अपनाकर याचिकाकर्ता को अपील का मंच देने से इनकार कर दिया गया है।

7. अपीलीय प्राधिकारी ने एक अव्यक्त आदेश पारित करके अपील को समय समाप्त होने के कारण खारिज कर दिया। दंड आदेश की तामील के मूल तथ्य, ओए दाखिल करने की तिथि, ओए के निपटान की तिथि और विलंब क्षमा के लिए दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया।

8. यह एक सामान्य कानून है कि एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण को स्पष्ट आदेश पारित करना होता है और प्रभावित पक्ष को कारण बताना होता है।

9. इस संबंध में मेसर्स क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम श्री मसूद अहमद खान एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **2010(9) एससीसी 496** में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जाए, जो इस प्रकार है:

“क. भारत में न्यायिक प्रवृत्ति हमेशा से ही कारणों को दर्ज करने की रही है, यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, यदि ऐसे निर्णय किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

ख. अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारण दर्ज करने होंगे।

ग. कारणों को दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य न्याय के व्यापक सिद्धांत की पूर्ति करना है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है।

घ. कारणों को दर्ज करना न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या यहां तक कि प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध संयम के रूप में भी कार्य करता है।

ङ. निर्णयकर्ता द्वारा प्रासंगिक आधारों पर तथा बाह्य विचारों की उपेक्षा करके विवेक का प्रयोग किया गया है।

च. अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की सेवा करने के समान ही तर्क भी निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक बन गए हैं।

छ. कारण उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं।

ज. विधि-शासन और संवैधानिक शासन के प्रति प्रतिबद्ध सभी देशों में प्रचलित न्यायिक प्रवृत्ति प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित तर्कसंगत निर्णयों के पक्ष में है। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय लेने की जीवनरेखा है जो इस सिद्धांत को प्रमाणित करती है कि तर्क ही न्याय की आत्मा है।

झ. आजकल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निर्णय भी उतने ही भिन्न हो सकते हैं जितने कि उन्हें देने वाले न्यायाधीश और प्राधिकारी। इन सभी निर्णयों का एक ही उद्देश्य है, और वह है तर्क द्वारा यह प्रदर्शित करना कि प्रासंगिक कारकों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है। न्याय प्रणाली में वादियों का विश्वास बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

ञ. न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए तर्क पर जोर देना आवश्यक है।

ट. यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति मिसाल के सिद्धांत के प्रति या वृद्धिवाद के सिद्धांतों के प्रति वफादार है।

ठ. निर्णयों के समर्थन में तर्क ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। तर्कों का दिखावा या "रबर-स्टाम्प तर्क" को वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

ड. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए पारदर्शिता अनिवार्य है। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णयकर्ताओं को गलतियाँ करने से बचाती है, बल्कि उन्हें व्यापक जाँच के दायरे में भी लाती है।

ढ. निर्णय लेने में निष्पक्षता के व्यापक सिद्धांत से उत्पन्न होती है , इसलिए उक्त आवश्यकता अब वस्तुतः मानवाधिकारों का एक घटक है और इसे स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र का हिस्सा माना जाता था।

ण. सभी सामान्य विधि क्षेत्राधिकारों में, निर्णय भविष्य के लिए मिसाल कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, विधि के विकास के लिए, निर्णय के लिए कारण बताना अनिवार्य है और वस्तुतः "उचित प्रक्रिया" का एक हिस्सा है।

11. उपर्युक्त के मद्देनजर, न्यायाधिकरण और अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को कानून के अनुसार विलंब की माफी के लिए प्रार्थना पर निर्णय लेने के लिए अपीलीय प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाता है।

12. तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है।

(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

मोनिका/दीपा -23

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी